न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.
राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 22/2025

प्रार्थीः-

1. सेणाराम पुत्र कालूराम
2. केसूड़ी पत्नी शंकरलाल
3. झूमरराम पुत्र कानाराम
4. पांचाराम पुत्र कालूराम
5. शान्तिदेवी पत्नी स्व. शेषाराम
6. देवली पुत्री स्व. शेषाराम
7. कुकी देवी पुत्री स्व. शेषाराम
8. शोभा देवी पुत्री स्व. शेषाराम
9. दुर्गाराम पुत्र स्व. शेषाराम जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कमला पत्नी मोहनलाल
2. चैनाराम पुत्र भोलाराम
3. बाबूलाल पुत्र भोलाराम
4. सुन्दर पत्नी भोलाराम
5. सुआ पुत्री भोलाराम
6. सायरी पुत्री भोलाराम
7. हनुमानराम पुत्र भोलाराम जातियान सीरवी, निवासीगण ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
8. किसनसिंह पुत्र अमरसिंह
9. गणपतसिंह पुत्र आदूसिंह
10. गुमानसिंह पुत्र अमरसिंह
11. गोर्धनसिंह पुत्र अमरसिंह
12. जयसिंह पुत्र आदूसिंह
13. जीवणसिंह पुत्र अमरसिंह
14. बलवन्तसिंह पुत्र आदूसिंह
15. भंवरसिंह पुत्र अमरसिह
16. लीलाकंवर पुत्री आदूसिंह
17. सोनकी पत्नी अमरसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीगण ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थीगण - श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 1 से 17- श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान, अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 18 - सरकारी पैरोकार।

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 16/03/26

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा नंबर 309 रकबा 0.5744 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है जो प्रार्थी संख्या 1 से 4 व सहखातेदार झणकारी पत्नी श्री कानाराम व शेषाराम पुत्र श्री कानाराम की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है तथा सहखातेदार झणकारी का स्वर्गवास हो चुका है तथा सहखातेदार झणकारी के प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रार्थी संख्या 3 व प्रार्थी संख्या 5 से 9 के पिता/पति शेषाराम है तथा प्रार्थी संख्या 5 से 9 के पिता/पति शेषाराम जो उक्त खसरे की भूमि के सहखातेदार भी है, उनका भी

स्वर्गवास हो चुका है तथा सहखातेदार शेषाराम के वारिसान प्रार्थी संख्या
8 से 9 तक है। स्व. झणकारी व स्व. शेषाराम का फौतेदगी म्यूटेशन
आज दिन तक राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही होने से राजस्व रेकर्ड
जमाबन्दी में आज दिन तक स्व. झणकारी व स्व. शेषाराम का नाम
सहखातेदारी के रूप में दर्ज है। राजस्व ग्राम कालाऊना, तहसील बिलाड़ा
में स्थित भूमि खसरा संख्या 308 रकबा 0.3479 हैक्टेयर किस्म
बारानी तृतीय आई हुई है, जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा व
कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा
संख्या 309 के पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्व ग्राम कालाऊना, तहसील
बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 307 रकबा 0.5097 हैक्टेयर
किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है जो अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की
संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जो अप्रार्थी
संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 308 के पूर्व दिशा में स्थित
है। राजस्व ग्राम कालाऊना, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा
संख्या 300 रकबा 0.7686 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आयी हुयी है
जो अप्रार्थी संख्या 8 से 17 की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा
काश्तसुदा भूमि है। जो अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की संयुक्त खातेदारी
भूमि खसरा संख्या 307 के पूर्व दिशा में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 8
से 17 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 306 के पूर्व दिशा में
खसरा संख्या 317 रकबा 2.0063 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता स्थित है, जो
चालु जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज अनुसार ग्राम पंचायत कालाऊना के नाम
दर्ज है। उक्त गै.मु. रास्ता ग्राम कालाऊना से ग्राम सम्बाडिया जाता है।
प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 309 में काश्त कार्य हेतु
आने-जाने के लिए व काश्त हेतु साधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी
संख्या संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 308 की दक्षिणी माठ के सहारे
सहारे रास्ते से होकर, अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के खेत खसरा संख्या
307 की दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे रास्ते से होकर व अप्रार्थी संख्या
8 से 17 के खेत खसरा संख्या 306 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे
रास्ते से होकर खसरा संख्या 317 गै. मु. रास्ता पर आते जाते है।
खसरा संख्या 308, 307 व 306 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे
स्थित रास्ता को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.
बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. से दर्शित किया गया है। उक्त मार्कसुदा रास्ता ही
प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 309 में आने जाने
हेतु एकमात्र वैकल्पिक व सबसे निकटतम रास्ता इसके अलावा ओर कोई
वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौके पर नही है तथा उक्त मार्क ए.बी.सी.
डी.ई.एफ.जी.एच. रास्ता पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही है।
जिसके सम्बंध में रंगीन फोटोग्राफ फार्म नं. 3 के साथ संलग्न कर पेश
है। भूमि खसरा संख्या 308, 307 व 306 के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.
जी.एच. भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थीगण की संयुक्त
खातेदारी भूमि खसरा संख्या 309 में पहुंचता है, जिसमें किसी भी
प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 17 को कोई
अधिकार नही है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 17 ने खसरा संख्या
308, 307 व 306 में स्थित उक्त मार्कसुदा रास्ते की भूमि को पत्थर
की पट्टिया रोपकर उस पर तारबन्दी कर बंद कर दिया है तथा वांछित
रास्ता को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 17 द्वारा बंद करने से प्रार्थीगण
अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 309 में काश्त कार्य करने
से वंचित हो गये है। प्रार्थीगण का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि
ही है। काश्त कार्य से वंचित होने से प्रार्थीगण का जीवन निर्वाह करना
भी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि

हो रही है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 308, 307 व 306 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 से 17 के विरुद्ध खसरा संख्या 308, 307 व 306 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. वांछित रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढ़ा जावे। प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 से 17 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 308, 307 व 306 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. जी.एच. चौड़ाई 12 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 309 रकबा 0.5744 हैक्टेयर में प्रार्थीगण को काश्त कार्य करने के लिए आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 308 रकबा 0. 3479 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 2 से 7 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 307 रकबा 0.5097 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 8 से 17 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 306 रकबा 0.7686 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाऊना के मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. भाग से होकर रास्ता निकलता है जो प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में पहुंचता है, जिसको प्रार्थीगण हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेते है. जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 18 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। राजस्व ग्राम कालाऊना, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 308, 307 व 306 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.जी.एच. रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 18 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 17 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 309 वाके ग्राम कालाऊना में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 308, 307 व 306 वाके ग्राम कालाऊना के मार्क ए.बी.सी. डी.ई.एफ.जी.एच. भाग वाले घोषित राजकीय रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 से 17 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 से 7 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 11 (क), (ख), (ग) में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष है जो माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया जाता है तो उसमें अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है अपितु अप्रार्थीगण सहमत है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पद सं. 11 (क), (ख), (ग) में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध चाहा गया अनुतोष के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपति नहीं है। अपितु अप्रार्थीगण इस जवाब के जरिये सहमत है।

अप्रार्थी तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा सं. 309 में आने जाने हेतु प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता निकटतम है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। उक्त भूमि असिंचित व ग्रेवल सडक पर स्थित है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि में खसरेवार निम्न प्रकार रकबा उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डीएलसी दर अनुसार देय राशि निम्नानुसार है।

क्र.स.	खातेदार का नाम व पता	खसरा सं.	रास्ता उपयोग हेतु रकबा	खातेदार का हिस्सा	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्ट	डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि
1.	किसनसिंह पुत्र अमरसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/12	220000	950
2	गणपतसिंह पुत्र आदूसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/8	220000	1425
3	गुमानसिंह पुत्र अमरसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/12	220000	950
4	गोर्धनसिंह पुत्र अमरसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/12	220000	950
5	जयसिंह पुत्र आदूसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/8	220000	1425
6	जीवणसिंह पुत्र अमरसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/12	220000	950
7	बलवंतसिंह पुत्र आदूसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/8	220000	1425
8	भंवरसिंह पुत्र अमरसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/12	220000	950
9	लीला कंवर पुत्री आदूसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/8	220000	1425
10	सोनकी पत्नी अमरसिंह	306	3.20 बिस्वा यानि 0.0259 हैक्टयर	1/12	2200000	950
11	हनुमानराम पुत्र भोलाराम	307	3.25 बिस्वा यानि 0.0263 हैक्टयर	1/7	220000	1653
12	सुवा पुत्री भोलाराम	307	3.25 बिस्वा यानि 0.0263 हैक्टयर	2/7	220000	1653
13	सुन्दर पत्नी भोलाराम	307	3.25 बिस्वा यानि 0.0263 हैक्टयर	1/7	220000	1653
14	बाबूलाल पुत्र भोलाराम	307	3.25 बिस्वा यानि 0.0263 हैक्टयर	1/7	220000	1653
15	सायरी पुत्री भोलाराम	307	3.25 बिस्वा यानि 0.0263 हैक्टयर	1/7	220000	1653
16	चैनाराम पुत्र भोलाराम	307	3.25 बिस्वा यानि 0.0263 हैक्टयर	1/7	220000	1653
17	कमला पत्नी मोहनलाल	308	2.20 बिस्वा यानि 0.0178 हैक्टयर	पूर्ण	220000	7832

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 306, 307 व 308 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया

और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका रिपोर्ट दिनांक 02.05.2026 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 से 17 को अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम कालाउना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 309 में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 306, 307, 308 के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 309 में पहुचता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक पिचियाक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.05.2026 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 17 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। प्रार्थीया तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोश में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 02.05.2026 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा